न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 235/2006

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रामदेव पुत्र भींया जाति रेगर दौराने दावा फोत बजाये उसके वारिसान
1/1 महावीर पुत्र रामदेव रेगर
1/2 मुकेश पुत्र रामदेव रेगर
1/3 मीरा देवी पुत्री रामदेव रेगर
1/4 गुड्डे देवी पुत्री रामदेव रेगर
1/5 श्री मति शांति देवी पत्नि रामदेव रेगर
समस्त निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र किशन रेगर
2. मु. कानी बेवा किशन रेगर
3. मु. कमला बेवा रामनिवास रेगर
4. घनश्याम पुत्र रामनिवास रेगर
5. राजू पुत्र रामनिवास रेगर
6. पिकी पुत्री रामनिवास रेगर
7. सुशीला पुत्री रामनिवास
8. बाबूलाल पुत्र मथुरालाल रेगर
   समस्त जातिगण रेगर निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,188,एव धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–30.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प बघेरा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2061–64 के खाता स. 1133 के खसरा नम्बर 2911 रकबा 0.21 हैक्ट. खसरा नम्बर 2912 रकबा 0.20 हैक्ट. भूमि जो कि वादी व प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दु पारिवारिक वंशज है जिसमें वादग्रस्त आराजी संवत 2058 की आधार जमाबन्दी के मुताबिक भिंया की आराजी थी जिससे पुश्तैनी भूमि होना जाहिर है। भिंया के तीन पुत्र श्रीकिशन, रामदेव व रामनिवास थे। श्रीकिशन के ओमप्रकाश व कानी तथा रामनिवास के कमला, घनश्याम, राजू, पिंकी व सुशीला वारिसान है। श्रीकिशन व रामनिवास फोत हो चुके है। रामदेव स्वयं जीवित है। वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय स्व. श्रीकिशन व रामनिवास की मौजूदगी में सहमति से बाहमी बंटवारा हुआ था जिनके अनुसार वर्णित आराजी के एवज में प्रतिवादीगण को अन्य खसरा नम्बर 2763 रकबा 0.42 हैक्ट. व 2764 रकबा 0.42 हैक्ट बारानी प्रथम में से वादी ने अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण को सम्भला दी थी। तब से वादवर्णित आराजी का कब्जा काश्त निरंतर वादी का ही चला आ रहा है। वर्तमान में प्रतिवादीगण की नियत बद होने से आये दिन वादी की वादग्रस्त आराजी में दखल कर बाहमी बंटवारे को मान्यता न देकर वादग्रस्त आराजी से पुनः बंटवारा कराने हेतु लडाई – झगडा करते है तथा मना करने पर गाली गलोच आदि करते है। अतः वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से नाम विलोपित करते हुए वादी को खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नवलकिशोर पारीक, ,प्रतिवादी स. 2 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह ने पावर पेश किया। प्रतिवादीगण 1 से 8 का जवाब दावा पेश हुआ। तनकीयात कायम की गई। वादी के गवाह पीडब्लू 1 रामदेव, पीडब्लू 2 जगन्नाथ, पीडब्लू 3 रामेश्वर के शपथ पत्र पेश हुए। पीडब्लू 1 पर प्रदर्श 1 से 7 अंकित कर वादी के गवाह की जिरह पूरी की गई। पत्रावली में वादी ने दिनांक 11.06.2010 को एक शपथ पत्र जो 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित में ओमप्रकाश का पेश किया जो रिकॉर्ड पर है तथा इसी गवाह ओमप्रकाश का 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर पुनः दोबारा प्रतिवादी ने पेश किया है प्रदर्श डी 1 है जो पत्रावली में पेश है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई किन्तु पत्रावली में आदेश नही लिखा जाने से दिनांक 30.07.2017 को पुनः रिकॉर्ड से बरामद कर पत्रावली पुनः पेशी पर ली गई। जिसमें वादी के वारिसान की ओर से लिखित बहस पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी 8 की ओर से श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अधिवक्ता ने पावर पेश किया। आज पत्रावली केम्प कोर्ट बघेरा में पेश हुई जहां उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। विवरण तनकीवार निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1 – आया वादी के वाद पत्र में वर्णित ग्राम बघेरा की विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी एंव सुयक्त खातदेारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से सुयक्त घोषणा व बंटवारे का हक रखता है।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रदर्श पी 1 जमाबन्दी संवत 2061–64 खाता नम्बर 1133 व 1128 पेश की है जिसमें वादवर्णित आराजी खसरा नम्बर 2911, 2912 रामदेव पुत्र भिंया, कानी पत्नि श्रीकिशन, ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन, कमला पत्नि रामनिवास, घनश्याम, राजू, पिंकी, सुशीला पिता रामनिवास कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज थी। इसी प्रकार खाता नम्बर 1128 में खसरा नम्बर 3240 व 3280 दर्ज है जिसमें रामदेव पिता भिंया 1/3 हिस्सा, कानी बैवा श्रीकिशन 1/6 हिस्सा, ओमप्रकाश पिता श्रीकिशन 1/2 हिस्सा कौम रेगर सा. देह खातेदार दर्ज होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 1569 जरिये बैचान से विक्रेता ओमप्रकाश व कानी 2/3 के बजाय क्रेता नोसी पत्नि घीसा लाल रेगर 2/3 दर्ज होने की स्वीकृति हुई। वादी ने प्रदर्श पी 2 नामान्करण संख्या 1302 की प्रमाणित प्रति पेश किया है जिसमें रामदेव पुत्र भिंया हिस्सा 1/3 के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र श्रीकिशन, कानी पत्नि श्रीकिशन हिस्सा 1/3, शेष हिस्सा बदस्तूर रखा गया। उक्त नामान्तकरण जरिये बैचाननामा के तस्दीक कराया गया है। वादी ने प्रदर्श पी 3 नक्शा ट्रेश पेश किया है। वादी ने प्रदर्श पी 4 आधार जमाबन्दी संवत 2058 की प्रमाणित प्रति पेश की है। प्रदर्श पी 5 वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 के निर्णय दिनांक 30.07.2008 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें वादी प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर तावाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। वादी ने प्रदर्श पी 6 खसरा गिरदावरी संवत 2054–58 पेश की है जिसमें वादी के पिता भिंया द्वारा काश्त किया जाना जाहिर होता है तथा विशेष विवरण में भिंया के फोत होने से उसके वारिसान का नामान्तकरण संख्या 1006 दिनांक 1.10.2001 का लाल स्याही से अंकन होना पाया जाता है। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पुस्तेनी होना जाहिर होता है। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने हेतु मात्र जवाब दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी 1 व 2 ने वादी का दावा मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादी 3 से 8 द्वारा वादी का दावा अस्वीकार कर निवेदन किया कि वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर मनगढंत व निराधार तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है। वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय कोई बाहमी बंटवारा नही हुआ है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को हडपने की नियत से यह दावा पेश किया गया है जो उन्हे स्वीकार नही हे। इसी प्रकार प्रतिवादी ने एक शपथ पत्र प्रदर्श डी1 पेश किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2911 व 2912 ग्राम बघेरा में स्थित होना जाहिर करते हुए प्रतिवादी 1 का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा व शेष 1/3 हिस्सा रामनिवास के वारिसान का तथा 1/3 हिस्सा रामदेव का होना स्वीकार किया है। ओमप्रकाश ने स्वयं के ईलाज के लिए उसका 1/3 हिस्सा उसी गांव के समाज के परिचित व्यक्ति बाबूलाल पुत्र मथुरालाल को

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (जिला-अजमेर)

बैचान कर दिया है जो सही है। उपरोक्तानुसार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तथा वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 – आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक रखता है।

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी का है। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी ने प्रदर्श पी 1 जमाबन्दी संवत 2061–64 खाता नम्बर 1133 व प्रदर्श पी 4 आधार जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जिसमें प्रदर्श पी1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी होना जाहिर होता है। प्रदर्श पी 4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज भिंया की खातेदरी की होने से पुश्तैनी आराजी होना जाहिर होता है। जिसमें वादी का हिस्सा होना निर्धारित होता है।

प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए जवाब दावे के अतिरिक्त एक शपथ पत्र प्रदर्श डी 1 पेश किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3, प्रतिवादी 1 व 2 का 1/3 व प्रतिवादी 3 से 7 का 1/3 हिस्सा होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने अन्य कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश नही किये है लिहाजा यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी नम्बर 3 – आया वादी ने गलत एवं झुठे तथ्यों के आधार पर हैरान व परेशान करने की नियत से झुठा दावा करने से दावा खारिज योग्य है

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है जिसके पक्ष में उनके द्वारा कोई लिखित दस्तावेज या अन्य सबूत पेश नही किये गये है मात्र प्रदर्श डी 1 व जवाब दावे पेश किये है। जवाब दावे में केवल मात्र मिथ्या आरोप व मनगढंत तथ्यों पर आधारित वाद पेश करना जाहिर किया है किन्तु उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश नही किया है।

वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रदर्श पी 1 से पी 7 तथा गवाह पीडब्लू 1 से 3 पेश किये है। प्रदर्श पी 1 से पी 6 तक का विवरण तनकी नम्बर 1 में किया जा चुका है। प्रतिवादी इस तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। लिहाजा तनकी नम्बर 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की होने से वादी का दावा प्रेमाफेसाई होना पाया जाता है तथा वादपत्र का संतुलन की वादी के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा वाके ग्राम बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2061–64 के खाता स. 1133 के खसरा नम्बर 2911 रकबा 0.21 हैक्ट. खसरा नम्बर 2912 रकबा 0.20 हैक्ट. भूमि का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु स्वीकार कर वादी का दावा डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण 1 से 8 को जरिये निषेधाज्ञा से सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की वादग्रस्त आराजी में उसके हिस्से तक उसके कब्जे काश्त व स्वामित्व में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें। तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिज जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक को पेश हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी